# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 15396 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / Maint / 18 भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2018

**प्रति,**

**महाप्रबंधक (समस्त),**
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
पी.आई.यू. .........................................,
(म.प्र.)

**विषय :– BT Renewal के भुगतान से शोल्डर हेतु रोकी गई राशि को विमुक्त करने के संबंध में।**

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. 17805 दिनांक 05 / 09 / 2014।

––0––

5 वर्ष पश्चात संधारण के तहत मार्गों के नवीनीकरण कार्य के साथ शोल्डर के संधारण कार्य के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप समुचित रूप से किये जाने के परिपेक्ष्य में संदर्भित पत्र से निर्देशित किया गया था कि रिन्यूवल कार्य के लिए ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान की 25 प्रतिशत राशि देयक से रोकी जाए जिसे ठेकेदार द्वारा शोल्डर का कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही विमुक्त किया जाए परंतु संधारण अभियान के दौरान कुछ इकाईयों के पुनरीक्षण में यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा रिन्यूवल कार्य करने एवं शोल्डर में मटेरियल का कलेक्शन मात्र कर देने पर देयक से रोकी गई 25 प्रतिशत राशि को विमुक्त किया जा रहा है जो कि अनुचित है एवं संदर्भित आदेश का उल्लघन है। अतः संदर्भित आदेश को स्पष्ट करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में रिन्यूवल कार्य के देयक से 25 प्रतिशत की राशि को ठेकेदार के भुगतान से रोकी जाए एवं ठेकेदार द्वारा शोल्डर का कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण करने के पश्चात किये गये कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण करने एवं शोल्डर की माप मापपुस्तिका में दर्ज होने के पश्चात शोल्डर के देयक भुगतान के साथ ही रिन्यूवल के देयक से रोकी गई 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जावे अन्यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न होने की स्थिति के संज्ञान में आने पर संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**(नीतेश व्यास)**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,**
**भोपाल**

पृ.क्र. 15397 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / Maint / 18 भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2018

प्रतिलिपिः
मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, इंदौर की ओर सूचनार्थ।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,**
**भोपाल**

# मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 15350 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / Maint / 18 भोपाल, दिनांक 20 / 07 / 2018

**प्रति,**

**महाप्रबंधक (समस्त),**
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
पीआईयू ..........................................,
(म.प्र.)

**विषय :– Post 5 year/Post 10 year संधारण के पैकेजों के लिए एजेंसी निर्धारण होने के पश्चात स्वीकृत प्राक्कलन के पुनरीक्षण / विचलन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।**

––0––

Post 5 year/Post 10 year संधारण के पैकेजों के लिए एजेंसी निर्धारण होने के पश्चात कार्य स्थल की आवश्यकता अथवा अन्य औचित्यपूर्ण कारणों से आवश्यक होने पर स्वीकृत लागत के विरूद्व विचलन के अनुरूप पुनरीक्षित लागत की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण मुख्यालय में प्रेषित किये जाते हैं। भविष्य में Post 5 year/Post 10 year संधारण के पैकेजों के लिए एजेंसी निर्धारण होने के पश्चात यदि पैकेज को पुनरीक्षित किया जाता है तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रकरण मुख्यालय की तकनीकी समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि Post 5 year/Post 10 year संधारण के पैकेजों के लिए एजेंसी निर्धारण होने के पश्चात यदि पुनरीक्षण की आवश्यता होती है तो पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व मुख्यालय की तकनीकी समिति के समक्ष प्रकरण का प्रस्तुतीकरण तत्काल करते हुए समिति की अनुशंसा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ताकि समिति की अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रकरण पर विचार किया जा सके।

विशिष्ट कारणों के बिना विचलन की स्थिति में प्राक्कलन तैयार करने वाले प्राधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

**(नीतेश व्यास)**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,**
**भोपाल**

पृ.क्र. 15351 / 22 / वि–12 / ग्रासप्रा / Maint / 18 भोपाल, दिनांक 20 / 07 / 2018

प्रतिलिपिः

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य महाप्रबंधक वित्त, वित्तीय सलाहकार एवं समस्त महाप्रबंधक (तकनीकी), मुख्यालय म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल, की ओर सूचनार्थ।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,**
**भोपाल**